अपील सूचना अधिकार संख्या 46/2021(GCMS 2021/72)(आईटीआई पोर्टल नं. 212119654780254) श्री संदीप कुमार पुत्र रमेश चन्द्र मकान नं. 36–ऐ, रेलवे मण्डी, होशियारपुर (पंजाब) बनाम प्रभारी अधिकारी उपअभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.07.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी संदीप कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी संदीप कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.12.2020 से प्रभारी अधिकारी, उपअभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समयावधि में उपलब्ध नही करवाई है। समयावधि के पश्चात दिनांक 26.02.2021 को लोक सूचना अधिकारी ने 20 पृष्ठों के चालीस रूपये राजकोष में जमा करवाकर पत्रावली/रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने हेतु लिखा। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से 40/– रूपये लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 17.03.2021 को भिजवाये, किन्तु अपील प्रस्तुत करने की दिनांक तक लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। इसलिए अपीलार्थी ने प्रभारी अधिकारी उपअभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा प्रभारी अधिकारी उपअभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ से निम्न सूचना चाही थी:

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

> **श्री देवीदास पुत्र हरीसिंह** जाति राजपूत निवासी चटवाल तहसील जस्वा।, जिला कांगड़ा को चक 17—एच का मुरब्बा नं. 40/11 का 6.325 हैक्टर रकबा आवंटित हुआ था। उपरोक्त रकबा आज दिनांक तक रकबा राज्य सरकार आरक्षित है। इससे सम्बन्धित पत्रावली में उपलब्ध सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें जी।

प्रभारी अधिकारी उपअभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ ने अपने अपील का कोई जवाब इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किया है किन्तु अपीलार्थी अपील के साथ लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिये गये जवाब की प्रति भिजवाई है, जिसके अनुसार लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को अपने पत्र दिनांक 26.02.2021 से निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित बअनवानी हरीसिंह पुत्र गुलाबा को आवंटित भूमि चक 17एच का मु.नं. 40/11 की 25 बीघा भूमि की पत्रावली उप अभिलेखागार में उपलब्ध है। जिसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आप 2/— रूपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से कुल 20 पृष्ठों के चालीस रूपये राजकोष में जमा करवाकर रसीद इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि आपको चाही गई पत्रावली/रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई जा सके। सूचनार्थ प्रेषित है।
>
> -sd-
>
> (पवन कुमार)
>
> उपजिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी
>
> उप अभिलेखागार, अनूपगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त पत्र की पालना में अपीलार्थी ने अपने रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 17.03.2021 के साथ पोस्टल ऑर्डर क्रमांक 382363, 382364, 382365 एवं 382366 दिनांक 17.03.2021 भिजवाये गये है (प्रति पत्रावली में उपलब्ध है।) इसके पश्चात भी लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई।

प्रभारी अधिकारी उपअभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/21/1064 दिनांक 20.09.2021 से अपीलार्थी की अपील के सम्बन्ध में टिप्पणी मय कार्यालय का रिकॉर्ड चाहा गया था, जो आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

> **धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।**
>
> **परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:14 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने का निर्णय लिये जाने के पश्चात भी अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए प्रार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और प्रभारी अधिकारी उपअभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को आदेशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं उसे निर्णय की प्राप्ति के 05 दिवस में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी उपअभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:14 IST
Reason: SelfAttested